"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि.से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 26] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 28 जून 2002—आषाढ़ 7, शक 1924

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 मई 2002

क्रमांक 886/490/2002/1/5.—निशक्तजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्णभागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 13, उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य समन्वय समिति का गठन करता है, जिसमें निम्नानुसार सदस्य होंगे :—

1.	समाज कल्याण मंत्री	पदेन अध्यक्ष
2.	राज्य मंत्री, समाज कल्याण	पदेन उपाध्यक्ष
3.	माननीय विधायक श्रीमती प्रतिमा चन्द्राकर.	सदस्य
4.	माननीय विधायक श्रीमती फूलोदेवी नेताम.	सदस्य
5.	माननीय विधायक श्रीमती प्रतिभा शाह	सदस्य
6.	माननीय विधायक श्रीमती इनग्रिड मेकलाउड.	सदस्य

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव मे मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.

राज्य शासन द्वारा नामांकित सदस्य

7. डा. राकेश कामरान, रायपुर शाखा नेशनल एसोसिएशन फार द ब्लाइंड ''प्रेरणा'' 2/301 बैरन बाजार, रायपुर. — सदस्य
8. श्री के. के. नायक, अध्यक्ष, आकांक्षा जलबिहार कालोनी, रायपुर. — सदस्य
9. श्री अब्दुल्ला युसुफ, अध्यक्ष, अभिलाषा बल्देवबाग, राजनांदगांव. — सदस्य

कृषि, उद्योग, व्यापार एवं शिक्षा के क्षेत्र से

10. श्री गुलाब वर्मा, ग्राम बोदेला, डोंगरगांव, राजनांदगांव. — सदस्य
11. श्री सुभाष जैन, डोंगरगांव, जिला, राजनांदगांव. — सदस्य
12. डा. रमेन्द्र मिश्रा, इतिहास विभाग, रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर. — सदस्य
13. सचिव/विशेष सचिव, समाज कल्याण — सदस्य सचिव.

निम्न विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव सदस्य होंगे

14. शिक्षा विभाग
15. महिला एवं बाल विकास विभाग
16. वित्त विभाग
17. सामान्य प्रशासन विभाग
18. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
19. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
20. खनिज तथा उद्योग विभाग
21. राजस्व विभाग
22. आदिमजाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग
23. लोक निर्माण एवं पर्यावरण, नागरिक प्रशासन और विकास विभाग.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इंदिरा मिश्र, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 1 जून 2002

क्रमांक 724/2002/1-8/स्था.—श्रीमती अमृता बेक, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त, वा. कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग को दिनांक 20-5-2002 से 1-6-2002 तक 13 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 2-6-2002 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती बेक को पुनः अवर सचिव, वित्त, वा. कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में श्रीमती बेक को वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती अमृता बेक यदि अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहती.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्रहास बेहार, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 14 जून 2002

क्रमांक 1649/1322/साप्रवि/2002/1/2.—श्री सी. के. खेतान, प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. को दिनांक 17-6-2002 से 22-6-2002 तक (6 दिन) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है एवं दिनांक 15, 16 एवं 23, 24 जून 2002 तक शासकीय अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. श्री खेतान को अवकाश से लौटने पर प्रबंध संचालक, राज्य विपणन संघ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. श्री खेतान को अवकाश काल में वेतन व भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री खेतान अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्यरत रहते.

5. दिनांक 24-6-2002 से एक सप्ताह आई.आई.एम.ए. अहमदाबाद में आयोजित प्रशिक्षण में आगामी आदेश तक भाग न लें.

रायपुर, दिनांक 14 जून 2002

क्रमांक 1643/1044/साप्रवि/2002/1/2.—इस विभाग के आदेश क्रमांक 1471/1044/साप्रवि/2002/1/2, दिनांक 24-5-2002 द्वारा श्री दिनेश कुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर, राजनांदगांव को दिनांक 27-5-2002 से 1-6-2002 (6 दिवस) तक का स्वीकृत किया गया अर्जित अवकाश एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 22 मार्च 2002

क्रमांक 455/490/2002/1/5.—राज्य शासन एतद्द्वारा निःशक्त व्यक्तियों (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 19 की उपधारा 2 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य स्तरीय कार्यकारिणी समिति का निम्नानुसार गठन करता है :—

1. सचिव, समाज कल्याण विभाग — पदेन अध्यक्ष
2. निम्नलिखित विभागों के सचिव (अपर/उप-सचिव स्तर के अधिकारी)
   1. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग. — सदस्य
   2. वित्त विभाग — सदस्य
   3. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग — सदस्य
   4. स्कूल शिक्षा विभाग — सदस्य
   5. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग — सदस्य
   6. श्रम विभाग — सदस्य
   7. सामान्य प्रशासन विभाग — सदस्य
   8. पंचायत एवं समाज कल्याण संचालनालय के निःशक्त कल्याण से संबंधित उप संचालक. — सदस्य सचिव

3. गैर सरकारी संगठनों के पांच व्यक्ति :—
   1. श्रीमती पूर्णिमा पाठक, दृष्टि बाधित व्याख्याता, संस्कृत महाविद्यालय, रायपुर (महिला सदस्य तथा स्वयं भी दृष्टि बाधित है). — सदस्य
   2. श्री बी. आर. जैन, अध्यक्ष, लायन्स चेरिटेबिल सोसायटी, संवाद सुपेला भिलाई. — सदस्य
   3. श्रीमती रत्ना ओस्तवाल (मानसिक रूप से विकलांग क्षेत्र से) राजनांदगांव. — सदस्य
   4. श्री श्रीकान्त बर्मनकर, अस्थि बाधित संगठन के प्रतिनिधि. — सदस्य

शेष एक सदस्य का नामांकन बाद में किया जाएगा.

अधिनियम के प्रावधान के अनुरूप उक्त कार्यपालिका समिति अधिनियम के अधीन सौंपे गये कृत्यों का पालन करेगी. इसका अधिवेशन तीन माह में एक बार होगा. यह समिति उक्त अधिनियम के क्रियान्वयन की दिशा में ठोस प्रयास करेगी तथा राज्य समन्वय समिति को अपने सुझाव भी देगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. सी. सूर्य, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 18 अप्रैल 2002

क्रमांक 552/2002/1-8/स्था.—श्री आर. एम. वर्मा, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन को दिनांक 4-12-2000 से 12-1-2001. तक 40 दिन का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 13 एवं 14 जनवरी 2001 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश अवधि में श्री वर्मा को वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

3. प्रमाणित किया जाता है कि श्री वर्मा यदि अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्टीफन खलखो, उप-सचिव.

परिवहन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 जनवरी 2002

क्रमांक 67/परिवहन/2002.—राज्य शासन द्वारा राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण गठित किये जाने तथा विधि एवं विधायी विभाग के आदेश क्र. फ./3 (A)/4/2002/21-ब, दिनांक 8-1-2002 द्वारा श्री एन. एस. राजपूत, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बस्तर की सेवाएं परिवहन विभाग को सौंपने के फलस्वरूप श्री एन. एस. राजपूत, सदस्य, उच्च न्यायिक सेवा को राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण, छत्तीसगढ़ रायपुर का पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. विजयवर्गीय, प्रमुख सचिव.

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 मई 2002

विषय :—छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत परामर्शदात्री परिषद् की नियमावली, 2002.

क्रमांक 2050/ऊ. वि./वि. क. अ./2002.—विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 78 की उपधारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन निम्नलिखित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत परामर्शदात्री परिषद् नियमावली, 2002 बनाता है जो निम्नानुसार है :—

1. इस नियमावली को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत परामर्शदात्री परिषद् नियमावली, 2002 कहा जायेगा.

2. इस नियमावली को जब तक प्रसंग में अन्यथा अपेक्षित न हो—

(एक) अधिनियम से आशय विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 से है.

(दो) नियुक्त सदस्य से आशय मण्डल के सदस्य को छोड़कर परिषद् के उस सदस्य से होगा जो कि इस अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (2) के अंतर्गत नियुक्त किया गया हो.

(तीन) मण्डल से आशय इस अधिनियम की धारा पांच (5) के अंतर्गत गठित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल से है.

(चार) अध्यक्ष से आशय परिषद् के अध्यक्ष से है, और

(पांच) परिषद् से आशय इस अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत गठित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत परामर्शदात्री परिषद् से है.

3. (1) प्रत्येक नियुक्त सदस्य, अपनी नियुक्ति पश्चात् पद ग्रहण की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिये अपने पद पर रहेगा.

(2) उप नियम (1) के अंतर्गत नियुक्त सदस्य को पदावधि के समाप्त हो जाने पर भी वह सदस्य तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि उसकी पदावधि की समाप्ति के फलस्वरूप रिक्त हुये स्थान की पूर्ति यथोचित रूप से नहीं हो जाती.

4. राज्य शासन किसी भी समय किसी भी सदस्य को, उसकी पदावधि समाप्ति के पहले भी, निम्नलिखित कारणों से अलग कर सकता है :—

(एक) यदि मानसिक/शारीरिक अस्वस्थता के कारण कार्य में अक्षम हो.

या

(दो) यदि शासन की राय में वह अपने कर्त्तव्यों का निर्वाह न कर सकता हो या कर सकने योग्य न हो जिससे कि उसे अलग किया जाना आवश्यक हो गया हो.

या

(तीन) यदि वह नैतिक पतन के किसी अपराध में दोषी सिद्ध हुआ हो.

या

(चार) यदि वह परिषद् की तीन लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा हो.

5. मण्डल का सचिव परिषद् का पदेन सचिव होगा.

6. नवनिर्मित परिषद्, अपनी पहली बैठक में या स्थान रिक्त होने पर, किसी एक सदस्य को बहुमत के आधार पर "उपाध्यक्ष" चुनेगी.

7. उपाध्यक्ष किसी भी समय अध्यक्ष के नाम एक पत्र लिखकर, अनुमति पश्चात् पदत्याग कर सकेगा व पदत्याग करने की स्थिति में ऊपर क्रमांक 6 में बताये अनुसार नये उपाध्यक्ष का चुनाव कर लिया जायेगा.

8. परिषद् की बैठक बुलाने एवं संचालन की प्रक्रिया :—

(i) परिषद् की बैठक हेतु तिथि, स्थान व समय दर्शाते हुए लिखित सूचना सामान्यत: 7 दिन पूर्व व विशेष आपात स्थिति में अल्पावधि में अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा अधिकृत करने पर उपाध्यक्ष के हस्ताक्षर से जारी की जा सकेगी.

(ii) परिषद् की बैठक के पूर्व नियत बैठक में चर्चा संबंधित कार्यसूची सचिव द्वारा प्रत्येक सदस्य को उपलब्ध करायी जायेगी.

(iii) अध्यक्ष की अनुमति से, कार्यसूची में लेख नहीं होते हुए भी किसी अतिमहत्वपूर्ण विषय पर, परिषद् चर्चा कर सकेगी.

(iv) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में किसी बैठक का संचालन उपाध्यक्ष द्वारा किया जा सकेगा व उपाध्यक्ष के न होने की अवस्था में, उपस्थित सदस्य, अपने में से किसी एक को पीठासीन अधिकारी नियुक्त करते हुए उसे बैठक के संचालन हेतु नियुक्त कर सकेंगे. लेकिन पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति केवल उक्त विशेष बैठक के लिये ही प्रभावशील होगी.

सारांश में किसी बैठक का संचालन अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष या इन दोनों के न होने पर चयनित पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा.

9. यदि अध्यक्ष का यह मत हो कि धारा 16 की उपधारा (5) के अंतर्गत परिषद् के कर्त्तव्यों के निर्वाह के प्रयोजनार्थ परिषद् की किसी बैठक में मण्डल के काम काज संबंधी किसी विशेष प्रश्न पर चर्चा करना या उसका उत्तर देना आवश्यक नहीं है एवं यदि ऐसे किसी प्रश्न पर चर्चा करना या उसका उत्तर देना लोकहित के प्रतिकूल हो तो, वह ऐसे किसी प्रश्न पर चर्चा नहीं होने देगा या उसका उत्तर नहीं देगा.

10. यदि अध्यक्ष वांछनीय या आवश्यक समझे तो वह मण्डल के किसी ऐसे अधिकारी को जो कि परिषद् का सदस्य न हो, परिषद् की किसी बैठक में आमंत्रित कर सकता है और ऐसे आमंत्रण पर ऐसा अधिकारी अध्यक्ष की अनुमति से चर्चा में भाग ले सकता है किन्तु उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा.

11. (1) अध्यक्ष, ऐसे समय जब वह आवश्यक समझे या परिषद् के कुल सदस्यों में से कम से कम एक तिहाई सदस्यों के निवेदन पर, परिषद् की विशेष बैठक बुलायेगा.

(2) यदि सदस्यों को बैठकों के बीच बुलाया जाना इस अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (4) के अंतर्गत अपेक्षित है एवं किसी विषय पर परामर्श करना अवश्यक है, तो अध्यक्ष उस दशा में कागज पत्रों को परिषद् के सदस्यों के बीच घुमाकर (सरकुलेट कर) उनकी राय सुनिश्चित कर लेगा. इस प्रकार प्राप्त बहुमत को परिषद् का निर्णय मान लिया जायेगा

12. परिषद् का कोई भी कार्य किसी भी बैठक में तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कम से कम चार सदस्य उस बैठक में उपस्थित न हो.

13. (i) परिषद् की बैठक में सभी प्रश्न का निर्णय, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जायेगा.

(ii) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में, बैठक का संचालन करने के लिये चुने गये पीठासीन व्यक्ति को मत देने का अधिकार होगा और बराबर-बराबर मत आने की स्थिति में वह निर्णायक या दूसरा मत दे सकेगा.

(iii) यदि मतदान की मांग की जाय तो बैठक का अध्यक्ष मत देने वाले सदस्यों के नाम और मतों का स्वरूप लेखबद्ध करेगा.

14. सचिव द्वारा प्रत्येक बैठक में उपस्थित सदस्यों के नाम उनके हस्ताक्षर एवं बैठक की कार्यवाही विवरण को एक कार्य-पुस्तिका में लेखबद्ध किया जायेगा. बैठक पुस्तिका में निर्णय आदि पर अध्यक्ष के हस्ताक्षर होंगे.

15. किसी बैठक की कार्य विवरण की पुष्टि परिषद् की अगली बैठक में सबसे पहले की जायेगी और उस पर यथास्थिति अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी द्वारा और सचिव द्वारा हस्ताक्षर किये जावेंगे.

16. किसी नियुक्त सदस्य को उतना ही यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता मिलेगा जितना कि मण्डल के किसी अवैतनिक सदस्य को दिया जाता है. अध्यक्ष ऐसे सदस्यों के यात्रा भत्ता बिलों पर प्रतिहस्ताक्षर करने वाला नियंत्रक अधिकारी होगा.

17. परिषद् का कोई भी सदस्य, अध्यक्ष की लिखित पूर्वानुमति के बिना परिषद् के सदस्य को छोड़ किसी भी अन्य व्यक्ति को परिषद् के कार्यों की किसी प्रकार की जानकारी नहीं देगा. गोपनीयता भंग करने की अवस्था में ऐसे व्यक्ति को किसी भी पुस्तक दस्तावेज या परिषद् के कार्य से संबंधित किन्ही भी गोपनीय समझे जाने वाले अन्य कागज पत्रों को देखने नहीं दिया जायेगा व उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी.

रायपुर, दिनांक 21 मई 2002

क्रमांक 2052/ऊ.वि./2002.—विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 16 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत परामर्शदात्री परिषद् का गठन करता है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

क्रमांक (1)	संस्था (2)
1.	छत्तीसगढ़, राज्य विद्युत मण्डल का अध्यक्ष.
2.	महाप्रबंधक, भिलाई इस्पात संयंत्र अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि.
3.	संभागीय रेल प्रबंधक, बिलासपुर अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि.
4.	संचालक, नगर प्रशासन.
5.	महाप्रबंधक राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, कोरबा/सीपत.
6.	छत्तीसगढ़ उद्योग महासंघ के अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि.
7.	छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज का अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि.
8.	श्रम आयुक्त, छत्तीसगढ़ शासन अथवा उनके प्रतिनिधि.

(1)	(2)
9.	महाप्रबंधक, भारतीय संचार निगम, रायपुर.
10.	मुख्य विद्युत निरीक्षक, छत्तीसगढ़ शासन.
11.	संचालक, कृषि.
12.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास एजेन्सी (क्रेडा) अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि.
13.	उपभोक्ता संरक्षक मंच से जय प्रकाश मेमोरियल सेन्टर, किरनदुल, बस्तर संभाग, श्री एम. पी. पाण्डेय, सचिव.
14.	अध्यक्ष, छ. रा. विद्युत मण्डल द्वारा नामित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल के श्रमिक संगठन के प्रतिनिधि.

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल के अध्यक्ष, राज्य विद्युत परामर्शदात्री परिषद् के पदेन अध्यक्ष होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह, सचिव.

जल संसाधन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

संकल्प

रायपुर, दिनांक 16 अप्रैल 2002

विषय :— छत्तीसगढ़ राज्य में "राज्य बाढ़ नियंत्रण मण्डल" का गठन.

क्रमांक 1863/349/डी-10/जसं./तशा.—(1) भारत सरकार की सलाह एवं योजना आयोग के मार्गदर्शन के अनुरूप छत्तीसगढ़ शासन द्वारा बाढ़ समस्याओं के आंकलन, बाढ़ नियंत्रण हेतु नीति निर्धारण, बाढ़ राहत एवं बाढ़ नियंत्रण उपाय तथा सुरक्षा के कार्यों के शीघ्र निष्पादन हेतु "राज्य बाढ़ नियंत्रण मण्डल" का गठन करने का विनिश्चय किया गया है.

2. छत्तीसगढ़ राज्य बाढ़ नियंत्रण मण्डल का गठन निम्नानुसार रहेगा :—

1.	माननीय मुख्य मंत्री जी	अध्यक्ष
2.	माननीय मंत्री, जल संसाधन	सदस्य
3.	माननीय मंत्री, लोक निर्माण	सदस्य
4.	माननीय मंत्री, राजस्व	सदस्य
5.	माननीय मंत्री, कृषि	सदस्य
6.	माननीय मंत्री, वित्त	सदस्य
7.	माननीय मंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	सदस्य
8.	माननीय मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	सदस्य
9.	माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायत	सदस्य
10.	माननीय विधायक गण (शासन द्वारा नामांकित) तीन	सदस्य
11.	मुख्य सचिव	पदेन सदस्य
12.	कृषि उत्पादन आयुक्त	पदेन सदस्य
13.	विकास आयुक्त	पदेन सदस्य

14.	सचिव, वित्त विभाग	पदेन सदस्य
15.	सचिव, जल संसाधन	पदेन सदस्य
16.	प्रमुख वन संरक्षक	पदेन सदस्य
17.	प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग	पदेन सदस्य
18.	सचिव, छत्तीसगढ़ सिंचाई परियोजना मंडल	पदेन सदस्य
19.	समस्त मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग	पदेन सदस्य
20.	मुख्य अभियंता मानिटरिंग, कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग	सदस्य सचिव.

3. मण्डल का मुख्यालय रायपुर होगा. मण्डल को अपनी बैठकों में ऐसे अधिकारियों को, जिन्हें वह आवश्यक समझे आमंत्रित करने की शक्ति प्राप्त होगी.

4. मण्डल की सहायता हेतु "तकनीकी सलाहकार समिति" रहेगी जिसका स्वरूप निम्नानुसार रहेगा :—

1.	प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग	अध्यक्ष
2.	सदस्य (आर. एन.) केन्द्रीय जल आयोग, आर. के. पुरम, नई दिल्ली	सदस्य
3.	मुख्य अभियंता, ब्रिज रिव्यु सेक्शन, द. पू. रेल्वे, 11 गार्डन रीच सड़क, कोलकाता	सदस्य
4.	प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग	सदस्य
5.	डिप्टी डायरेक्टर जनरल, क्षेत्रीय मौसम केन्द्र, एयरपोर्ट, नागपुर	सदस्य
6.	प्रमुख वन संरक्षक, वन विभाग	सदस्य
7.	संचालक, कृषि विभाग	सदस्य
8.	समस्त मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग	सदस्य
9.	मुख्य अभियंता (सिविल) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल	सदस्य
10.	अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी मंडल, रायपुर	सदस्य
11.	अधीक्षण यंत्री मानिटरिंग, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर	सदस्य

5. छत्तीसगढ़ राज्य बाढ़ नियंत्रण मंडल एवं तकनीकी सलाहकार समिति के कार्य एवं अधिकार निम्नानुसार होंगे :—

(क) राज्य में बाढ़ समस्या का आंकलन, बाढ़ एवं बाढ़ राहत संबंधी नीति निर्धारण और बाढ़ नियंत्रण के उपाय एवं सुरक्षा.

(ख) एक निर्धारित/अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार आवश्यक आंकड़ों के संकलन की व्यवस्था.

(ग) राज्य में बाढ़ चेतावनी पद्धति विकसित करना एवं संचालित करना.

(घ) राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में प्राथमिकता निर्धारित करते हुए नयी बाढ़ नियंत्रण योजनाओं का निर्माण कर आवश्यक सार्थक बचाव की योजना तैयार करना.

(ङ) निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार बाढ़ नियंत्रण, निकासी (ड्रेनेज), जल पूर्णता से बचाव (एन्टी वाटर लॉगिंग) तथा नदियों के कटाव से बचाव (एन्टी रिव्हर इरीजन) योजनाओं का अनुमोदन करना.

I. योजनायें जिनकी लागत रुपये 3.00 करोड़ से कम हो :—

(क) विभाग द्वारा प्रस्तावित योजनाओं की स्वीकृति राज्य शासन द्वारा तकनीकी सलाहकार समिति की अनुशंसा पर राज्य बाढ़ नियंत्रण मंडल के अनुमोदन पर दी जायेगी.

(ख) राज्य तकनीकी सलाहकार समिति के किसी भी सदस्य के अभिमत के अनुसार यदि कोई योजना अन्तर्राज्यीय है, तो केन्द्रीय जल आयोग के परीक्षण एवं स्वीकृति दिये जाने पर राज्य बाढ़ नियंत्रण मंडल के अनुमोदन पश्चात् राज्य शासन द्वारा स्वीकृति दी जायेगी.

(ग) राज्य बाढ़ नियंत्रण मंडल के अनुमोदन पर निम्नलिखित श्रेणी के योजनाओं की राज्य शासन द्वारा स्वीकृति हेतु राज्य तकनीकी सलाहकार समिति की अनुशंसा आवश्यक नहीं होगी :—

1. मौजूद बांधों की मजबूतीकरण एवं ऊंचाई बढ़ाना.
2. मौजूद बांधों की रिटायर्ड लाइन्स (Retired Lines for existing embankments)
3. बाढ़ नियंत्रण निकासी (ड्रेनेज) एन्टी वाटर लॉगिंग एवं एन्टी सी इरीजन योजनाओं की अनुसंधान करना.

4. गांवों की उंचाई बढ़ाना (Raising of villages)
   श्रेणी (2) के योजनाओं की स्वीकृति पश्चात् जानकारी भारत सरकार के रेल्वे मंत्रालय एवं भूतल परिवहन मंत्रालय को भेजी जायेगी.

(घ) बाढ़ सत्र के दौरान रुपये 25.00 लाख तक के लागत वाली संकटकालीन योजना में, यदि अन्तर्विभागीय/अन्तर्राज्यीय न हो तथा रेल्वे एवं हाईवे को प्रभावित नहीं करती हो, की मुख्य अभियंता के अनुशंसा पर राज्य शासन द्वारा स्वीकृति दी जायेगी. ऐसी योजनाओं की सूची एवं प्रपत्र-एक में जानकारी स्वीकृति पश्चात् केन्द्रीय जल आयोग को भेजी जायेगी.

II. योजनाएं जिनकी लागत रु. 3.00 करोड़ से रु. 7.50 करोड़ तक हो—

(क) ऐसी योजनायें जो अन्तर्राज्यीय न हो, को राज्य तकनीकी सलाहकार समिति एवं राज्य बाढ़ नियंत्रण मंडल के माध्यम से प्रपत्र-दो के साथ केन्द्रीय जल आयोग को भेजी जायेगी. केन्द्रीय जल आयोग द्वारा परीक्षण एवं अनुशंसा पर योजना आयोग द्वारा अनुमोदन पश्चात् प्लान में शामिल की जायेगी.

(ख) योजनाओं के अन्तर्राज्यीय होने पर II "क" के अनुसार कार्यवाही करने के पूर्व राज्य शासन द्वारा भारत सरकार, जल संसाधन मंत्रालय से क्लियरेंस प्राप्त की जायेगी.

III. योजनाएं जिनकी लागत रु. 7.50 करोड़ से अधिक हो :—

योजनाओं की लागत रुपये 7.50 करोड़ से अधिक होने पर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार की जाकर II के अनुसार कार्यवाही की जायेगी. परियोजना प्रतिवेदन की विस्तृत परीक्षण हेतु राज्य शासन द्वारा केन्द्रीय जल आयोग को प्रतिवेदन भेजी जायेगी तथा परियोजना प्रतिवेदन की प्रतिलिपि योजना आयोग को भी भेजी जायेगी. केन्द्रीय जल आयोग द्वारा केन्द्रीय सलाहकार समिति के विचारार्थ कार्यवाही की जायेगी.

(च) बाढ़ नियंत्रण कार्यो/योजनाओं की रख-रखाव एवं अनुरक्षण की समुचित व्यवस्था करना.

(छ) संकटकालीन स्थिति पर नियंत्रण हेतु बचाव के समुचित योजना तैयार करना.

6. राज्य बाढ़ नियंत्रण मंडल की बैठक जब कभी भी आवश्यक हो, परन्तु वर्ष में कम से कम एक बार होगी.

7. जल संसाधन मंत्री, केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण मंडल में राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे.

8. राज्य तकनीकी सलाहकार समिति निम्न कार्य करेगी :—

1. अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार बाढ़ के आवश्यक आंकड़े एकत्रित करने हेतु समुचित व्यवस्था करना.
2. राज्य में बाढ़ की चेतावनी की समुचित संगठनात्मक व्यवस्था करना.
3. बाढ़ से सुरक्षा के आवश्यक उपाय करना एवं प्राथमिकता निर्धारित करना.
4. स्वीकृत योजनाओं के निर्माण की प्राथमिकता के आधार पर क्रियान्वयन की व्यवस्था करना.
5. बाढ़ नियंत्रण कार्यो के रख-रखाव की समुचित व्यवस्था करना.
6. राज्य बाढ़ नियंत्रण मंडल को वांछित तकनीकी सहयोग करना.
7. तकनीकी सलाहकार समिति की प्रत्येक 6 माह में एक बैठक होगी. (अर्थात् एक बैठक वर्षा ऋतु के पहले एवं एक बैठक वर्षा ऋतु के बाद) समिति बैठक के कार्यवाही विवरण का पूर्ण लेखा जोखा संधारित करेगी एवं संचालन हेतु स्वयं नियम बना सकेगी.

आदेश

आदेश दिया जाता है यह संकल्प भारत शासन के जल संसाधन, रेल्वे मंत्रालय, परिवहन मंत्रालय, केन्द्रीय योजना आयोग, केन्द्रीय जल आयोग, वित्त मंत्रालय, महालेखाकार, छत्तीसगढ़ तथा छत्तीसगढ़ शासन के संबंधित मंत्रालय एवं विभाग को संसूचित किया जावे.

आदेश किया जाता है कि यह संकल्प आम सूचना के लिये "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशित किया जावे तथा भारत शासन से इसे "भारत सरकार के गजट" में प्रकाशित करने के लिये निवेदन किया जावे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुशील त्रिवेदी, सचिव.

प्रपत्र-1

STATEMENT "A"

PROFORMA IN WHICH INFORMATION IS REQUIRED TO BE FURNISHED BY THE STATE GOVERNMENT IN RESPECT OF FLOOD CONTROL, DRAINAGE, ANTI-WATER LOGGING AND ANTI-SEA EROSION SCHEMES COSTING LESS THAN RS. 3 CRORE EACH SANCTIONED BY THE STATES.

1. Name of the Scheme (attach Index map).
2. Name of the river, river basin and district in which the scheme is situated.
3. Name of scheme-whether new embankments, raising and strengthening of existing embankment, drainage, anti-erosion town protection etc.
4. Length of embankment or drainage channels.
5. Estimated cost.
6. Area benefited.
7. Date of sanction of the scheme.
8. Whether inter-state/international aspect of the scheme, if any has been examined by the State Technical Advisory Committee and, where necessary, clearance of the CWC/Ganga Flood Control Commission and the Ministry of water Resources has been obtained.
9. Status of requisite administrative/statutory clearance.

प्रपत्र-2

STATEMENT "B"

PROFORMA IN WHICH INFORMATION IS REQUIRED TO BE FURNISHED BY THE STATE GOVERNMENT IN RESPECT OF FLOOD CONTROL, DRAINAGE, ANTI-WATER LOGGING AND ANTI-SEA EROSION SCHEMES COSTING RS. 7.5 CRORE OR LESS BUT MORE THAN RS. 3 CRORE EACH.

1. Name of the Scheme (attach Index map)
2. Abstract of cost, including foreign exchange components, if any.
3. Skeleton reports.
4. Area and population which will get protected by the project.
5. (i) Betterment levy or flood cess, if any, proposed for the area to be protected from floods or water logging or sea erosion.
   (ii) Anticipated revenue therefrom.
6. (a) Benefit cost ratio.
   (b) Cost per ha. of area protected.
7. The extent to which people's participation is envisaged for the execution of the schemes and in what form.
8. Whether inter-State/international aspect of the scheme, if any, has been examined by the State Technical Advisory Committee and, where necessary, clearance of the CWC/Ganga Flood Commission and the Ministry of Water Resources has been obtained.
9. Status of requisite administrative/statutory clearance.

रायपुर, दिनांक 16 जून 2002

विषय :— राज्य बाढ़ नियंत्रण मंडल का गठन

क्रमांक 1864/349/डी-10/जसं/तशा.—इस विभाग के संकल्प क्रमांक 1863/349/डी-10/जसं/तशा रायपुर दिनांक 16-4-2002 के अनुसार "राज्य बाढ़ नियंत्रण मण्डल" का गठन निम्नानुसार किया जाता है.

1.	माननीय मुख्य मंत्री जी	अध्यक्ष
2.	माननीय मंत्री, जल संसाधन	सदस्य
3.	माननीय मंत्री, लोक निर्माण	सदस्य
4.	माननीय मंत्री, राजस्व	सदस्य
5.	माननीय मंत्री, कृषि	सदस्य
6.	माननीय मंत्री, वित्त	सदस्य
7.	माननीय मंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	सदस्य
8.	माननीय मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	सदस्य
9.	माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायत	सदस्य
10.	माननीय श्री मन्तू राम पवार, विधायक	सदस्य
11.	माननीय श्री चैनसिंह सामले, विधायक	सदस्य
12.	माननीय श्रीमति प्रतिमा चंद्राकर, विधायक	सदस्य
13.	मुख्य सचिव	पदेन सदस्य
14.	कृषि उत्पादन आयुक्त	पदेन सदस्य
15.	विकास आयुक्त	पदेन सदस्य
16.	सचिव, वित्त विभाग	पदेन सदस्य
17.	सचिव, जल संसाधन	पदेन सदस्य
18.	प्रमुख वन संरक्षक	पदेन सदस्य
19.	प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग	पदेन सदस्य
20.	सचिव, छत्तीसगढ़ सिंचाई परियोजना मंडल	पदेन सदस्य
21.	समस्त मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग	पदेन सदस्य
22.	मुख्य अभियंता मानिटरिंग, कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग	सदस्य सचिव.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. व्ही. सुब्बा रेड्डी, संयुक्त सचिव.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 अप्रैल 2002

क्रमांक एफ 516/खा/2002.—उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का सं. 68) की धारा 10 की उपधारा (1-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा चयन समिति की अनुशंसा पर निम्नांकित व्यक्तियों को उनके सम्मुख उल्लेखित जिला उपभोक्ता फोरम में उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से सदस्य के रूप में नियुक्त करता है :—

क्रमांक (1)	नाम (2)	जिला (3)
1.	श्रीमती सुरिन्दरजीत कथूर पत्नि-श्री कुलदीप सिंह कथूर बनारस रोड, अंबिकापुर, जिला सरगुजा.	जिला सरगुजा
2.	श्री अशफाक अली आ. श्री अब्बास अली, नवागढ़, अंबिकापुर, जिला सरगुजा.	जिला सरगुजा

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोहर पाण्डे, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 30 अप्रैल 2002

क्रमांक एफ-516/खा/2002.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 30-4-2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोहर पाण्डे, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 30th April 2002

No. F-516/F/2002.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1-A) of Section 10 of the Consumer Protection Act, 1986 (No. 68 of 1986) the State Government on the recommendation of the Selection Committee hereby appoint the following persons as the member in the district forums shown against their names with effect from the date, they take over the charge of their respective offices :—

S. No. (1)	Name and Address (2)	District (3)
1.	Shrimati Surinderjeet Kathur W/o. Shri Kuldeep Singh Kathur. Banaras Road, Ambikapur, District Sarguja.	Sarguja
2.	Shri Ashfaq Ali, S/o. Abbas Ali, Nawagarh, Ambikapur, District Sarguja.	Sarguja

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh.
MANOHAR PANDE. Joint Secretary.

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 फरवरी 2002

क्रमांक 671/1494/2001/चि. शि.—औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम, 1940 की धारा 33-एफ (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा डॉ. एस. आर. इंचुलकर, एम. डी. (आयुर्वेद) व्याख्याता, शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, रायपुर को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ औषधि परीक्षण प्रयोगशाला (भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी) शासकीय आयुर्वेद फार्मेसी के लिये संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य हेतु, राज्य औषधि विश्लेषक आयुर्वेद के पद पर नियुक्त करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. आर. टोण्डर, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 15 फरवरी 2002

क्रमांक 672/1494/2001/चि. शि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 671/1494/2001/चि.शि., दिनांक 15-2-2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. आर. टोण्डर, अवर सचिव.

Raipur, the 15th February 2002

No.671/1494/2001/ME.—In exercise of the powers conferred by Section 33-F (1) of the Drugs and Cosmetics Act-1940, State Government hereby appoints Dr. S. R. Inchulkar, M.D. (Ayurved) Lecturer Government Ayurvedic College, Raipur to the post of State Drug Analyst in Drug Testing Laboratory (Indian systems of Medicine & Homeopathy), Government Ayurved Pharmacy for the whole of State of Chhattisgarh along with his present duties.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh.
N. R. TONDER, Under Secretary.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 अप्रैल 2002

क्रमांक 1031/541/2002/11/वा.उ.—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन मे. प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमि., चापा के बायलर क्रमांक एम. पी./4461 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा-6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से दिनांक 21-3-2002 से दिनांक 20-7-2002 तक के लिए छूट देता है :—

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेग्युलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) मध्यप्रदेश बायलर निरीक्षण नियम 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. तिवारी, संयुक्त सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 दिसम्बर 2001

क्रमांक 1165/424/आ.पर्या./2001.—छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 में उस संशोधन का जिसे राज्य सरकार छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 24 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 85 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, करना प्रस्तावित करती है, निम्नलिखित प्रारूप, उक्त अधिनियम की धारा 85 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार उन समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है. जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस सूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन का अवसान होने पर, उक्त प्रारूप पर विचार किया जाएगा.

ऐसी किसी आपत्ति या सुझाव पर, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने के पूर्व प्राप्त हो राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा.

प्रारूप संशोधन

नियम 16 के अंत में निम्न पैरा जोड़ा जावें :—

आवेदन पत्र के साथ अधिकृत संरचना इंजीनियर वास्तुविद संरचना प्रमाण-पत्र अवश्य संलग्न किया जावे कि इस नियम के नियम-84 में प्रावधानित (भूकम्प प्रभावित क्षेत्र हेतु आवश्यक) समस्त आवश्यकताएं सुनिश्चित की गई हैं.

नियम 26 उपनियम (1) में इंजीनियरों के पश्चात् अग्नि शमन विज्ञान इंजीनियर अन्त: स्थापित किया जाए.

नियम 26 के उपनियम (2) में नया खण्ड 6 स्थापित किया जावे.

पदनाम	न्यूनतम अर्हता
अग्नि शमन विज्ञान इंजीनियर	(मान्यता प्राप्त संस्था से अग्नि निवारण एवं अग्नि शमन विज्ञान इंजीनियरिंग में या समकक्ष अर्हता).

फीस अनुज्ञप्ति मंजूर करने की वार्षिक फीस निम्नानुसार होगी :—

(एक) वास्तुविद्, संरचना इंजीनियर, इंजीनियर तथा नगर योजनाकार के लिए—रु. 500.00

(दो) पर्यवेक्षकों के लिए—रु. 250.00

(तीन) समूह या एजेंसी के लिए—रु. 1250.00

(चार) अग्नि शमन विज्ञान इंजीनियर के लिए—रु. 500.00

नियम-84 में निम्नानुसार पैरा जोड़ा जावे :—

12.5 मीटर या इससे ऊंचे भवनों हेतु तथा इंजीनियरिंग संरचना में निम्नानुसार विशिष्ट प्रावधान रखा जावे. आर. सी. सी. एवं ईंट के पक्के निर्माण हेतु—

(1) आय. एस. : 1893-1986

(2) आय. एस. : 13920-1993 (आय. एस. 456, आय. एस. 1893 के साथ पढ़ा जावे)

(3) आय. एस. : 4326-1993 (आय. एस. 1893 के साथ पढ़ा जावे) अर्द्ध पक्का मिट्टी गारा और अन्य निर्माणों हेतु.

(4) आय. एस. : 13827-1993

(5) आय. एस. : 13828-1993 मरम्मत एवं अन्य हेतु

(6) आय. एस. : 13935-1993

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय शुक्ला, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 7 दिसम्बर 2001

क्रमांक 1165/424/आ.पर्या./2001.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1165/424/आ.पर्या./2001, दिनांक 7-12-2001 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय शुक्ला, उप-सचिव.

Raipur, the 7th December 2001

No. 1165/424/HE/2001.—The following draft of amendment in the Chhattisgarh Bhumi Vikas Niyam 1984 which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 85 read sub-section (3) of Section 24 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) hereby published as required by sub-section (1) of Section 85 of the said Act, for the information of all persons likely be attended thereby and notice is hereby given that the and draft will be taken into consideration on the expiry of Thirty Days from the date of publication of this notice in the Chhattisgarh Gazette.

AMENDMENTS

Proposed Amendments

At the End of Rule 16 following para shall be added. The application shall also be accompained by structual Engineer/Architect of the building ensuring all provisions of Rule 84 (for Earthquake prone areas) of this Niyam.

In rule 26 (1) Fire safety Engineer/Architect of the building ensuring all provisions of Rule 84 (for Earth-quake prone areas) of this Niyam.

In Rule 26 (1) Fire Saftey Engineer shall be added.

	Designation	Minimum Qualification
6.	Fire Safety Engineer.	Graduate in Fire protection Engineering or equivalent from recognised institute by the Govt.

Fee : The Annual fee for grant of license shall be as under :

(i)	For Architect, structural Engineer, Engineer, Town Planner	Rs. 500.00
(ii)	For Supervisor	Rs. 250.00
(iii)	For Group of agency	Rs. 1250.00
(iv)	Fire Safety Engineer	Rs. 500.00

In Rule 84 following para shall be added. Building above 12.5 M height structural provision should be given as below for RCC and Brick Work.

(1)	I.S.	1893-1986
(2)	I.S.	13920-1993 (It should be read with I.S. 456 and I.S. 1893)
(3)	I.S.	4326-1993 (It should be read with I.S. 1983 for semi pucca construction).
(4)	I.S.	13827-1993
(5)	I.S.	13828-1993
(6)	I.S.	I.S. 13935-1993

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh.
SANJAY SHUKLA, Deputy Secretary.

वन एवं संस्कृति विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 जून 2002

क्रमांक एफ 7-61/व.सं./2001.—छत्तीसगढ़ अभिवहन (वनोपज) नियम, 2001 की धारा-5 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित वनोपज के लिए परिवहन अनुज्ञापत्र जारी करने के लिए निम्नलिखित शुल्क निर्धारित करती है :—

क्र.	वनोपज का नाम	विहित फीस			
		रुपए	रुपए प्रति ट्रक	रुपए प्रति ट्राली	रुपए प्रति बैलगाड़ी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	लाईम स्टोन, डोलोमाईट, फायरक्ले, मैंगनीज़, कॉपर, रॉक-फास्फेट, पायरो-फिलाईट, डायास्पोर, ओकर, वाक्साईट, केसलाईट, कोयला, क्वार्टज, सिलिका सेंड, स्लेट, सोप स्टोन, आयरन ओर, सोना, कोरंडम एवं टीन अयस्क.	7 रुपये प्रतिटन.			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	फ्लेग स्टोन, ग्रेनाईट, मार्बल, गिट्टी, पत्थर, रेत एवं मुरूम.	4 रुपये प्रति घनमीटर	-	-	-
3.	काष्ठ जलाऊ एवं बांस	-	100/-	50/-	5/-
4.	लघुवनोपज (विनिर्दिष्ट लघुवनोपज को छोड़कर)	-	25/- प्रति ट्रक या उसके भाग के लिए.	10/- प्रति ट्रैक्टर या उसके भाग के लिए.	-

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जयसिंह महस्के, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 14 जून 2002

क्रमांक एफ 7-61/व. सं./2001.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-61/व.सं./2001 दिनांक 14-6-2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जयसिंह महस्के, उप-सचिव.

Raipur, the 14th June 2002

No. F 7-61/F.C./2001.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Chhattisgarh Transit (Forest Produce) Rules 2001 the State Government hereby prescribes the following fee to be recovered for issue of transit pass for the transportation of the following forest produce :—

S. No.	Name of Forest Produce	Prescribed Fee			
		Rs.	Rs./Truck	Rs./Trolly	Rs. Bullock cart
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Lime stone, Dolomite, Fire clay, Manganese, Copper, Rock-Phosphate, Pyrophyllite, Diaspore, Ochre, Bauxite, Calcite, Coal, Quartz, Silica Sand, Slate, Soapstone, Iron-ore, Gold, Corundum and Tin ore.	Rs. 7/per ton	-	-	-
2.	Flage stone, Granite, Marble, Concrete stone, Stone, Sand & Murrum.	Rs. 4/- per CMT	-	-	-
3.	Timber, Fuel & Bamboo.	-	100-	50/-	5/-

(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
4.	Minor Forest Produce (excluding specified minor fores produce).		Rs. 25/- per truck or its part.	10/- per tractor trolly or its part	

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh.
JAI SINGH MHASKEY, Deputy Secretary.

पशुपालन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 जून 2002

क्रमांक 704/35/पशु/2002.—मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (क्रमांक 28 सन् 2000) की धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात् :—

आदेश

(1) 1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम विधियों का अनुकूलन आदेश, 2002 है.

2. यह 1 नवंबर 2002 के प्रथम दिन से संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवृत्त होगा.

(2) समय-समय पर यथा संशोधित ऐसी विधियां जो इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट है और जो छत्तीसगढ़ राज्य की संरचना के अव्यवहित पूर्व मध्यप्रदेश राज्य में प्रवृत्त थी, एतद्द्वारा तब तक विस्तारित तथा प्रवृत्त रहेंगे जब तक कि वे निरसन या संशेधित न कर दी जाए. उपान्तरणों के अध्यधीन रहते हुए समस्त विधियों में शब्द ''मध्यप्रदेश'' जहां कहीं भी वे आए हो, के स्थान पर शब्द ''छत्तीसगढ़'' स्थापित किये ज़ाएं.

(3) अनुसूची में विनिर्दिष्ट विधियों के द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कोई भी वात या की गई कोई कार्यवाही (किसी नियुक्ति, अधिसूचना, सूचना, आदेश, प्रारूप, विनियम, प्रमाण पत्र या अनुज्ञप्ति को सम्मिलित करते हुए) छत्तीसगढ़ राज्य में लगातार प्रवृत्त रहेगी.

अनुसूची

अनुक्रमांक (1)	विधियों के नाम (2)
1.	मध्यप्रांत पशु रोग अधिनियम, 1934
2.	अश्वरोग अधिनियम, 1960
3.	कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम, 1989
4.	मध्यप्रांत पशुवध अधिनियम, 1915

(1)	(2)
5.	मध्यप्रांत पशुवध अधिनियम, 1915.
6.	पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1860.
7.	ग्लैंडर तथा फार्सी अधिनियम, 1899.
8.	पशु (नियंत्रण), अधिनियम, 1871.
9.	डूरीन अधिनियम, 1910.
10.	पशु (नियंत्रण) अधिनियम.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. जे. व्ही. प्रसाद, सचिव.

रायपुर, दिनांक 10 जून 2002

क्रमांक 704/35/पशु/2002.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 704/35/पशु/2002, दिनांक 10 जून 2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. जे. व्ही. प्रसाद, सचिव.

Raipur, the 10th June 2002

No. 704/35/AH/2002.—In exercise of the powers conferred by Section 79 of the Madhya Pradesh Re-organisation Act, 2000 (No. 28 of 2000) the State Government hereby makes the following orders, namely :—

ORDER

1. (i) This order may be called the adaptation of Law order, 2002.

   (ii) It shall come into force in the whole State of Chhattisgarh on 1st day of November, 2000.

2. The law as amended from time to time specified in the schedule to this order which were in force in the State of Madhya Pradesh immediately before the formation of State of Chhattisgarh, are hereby extended to and shall be in force in the State of Chhattisgarh, until repealed or amended. Subject to the modification that in all the law for the word "Madhya Pradesh" wherever they occur the word "Chhattisgarh" shall be substituted.

3. Any thing done or any action taken (including any appointment, notification, notice, order, rule, form, regulation, certificate or license) in exercise of the power by or under the law's specified in the schedule shall continue to be in the State of Chhattisgarh.

SCHEDULE

S. No. (1)	Name of Laws (2)
1.	The Central Provinces Cattle Diseases Act, 1934.
2.	Horse Sickness Act, 1960.

(1)	(2)
3.	The Agriculture Cattle Preservation Act, 1959.
4.	The Central Provinces Live-stock improvement Act, 1950.
5.	The Central Provinces Slaughter of Animals Act, 1915.
6.	The Prevention of Cruelty to animal Act, 1960.
7.	The Glanders and Farcy Act, 1999.
8.	The Cattle Trespass Act, 1871.
9.	The Dourine Act, 1910.
10.	The Cattle control Act.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh.
A. J. V. PRASAD. Secretary.

वित्त एवं योजना विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 जून 2002

क्रमांक 485/2002/23/आसां.—छत्तीसगढ़ राज्य में विभिन्न विकास कार्य एवं जनहित योजनाओं को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किये जाने के उद्देश्य से विभागों द्वारा प्रस्तावित योजनाओं का परीक्षण तथा समीक्षा हेतु "परियोजना निर्माण एवं क्रियान्वयन समिति" (पी. एफ. आई. सी.) का गठन किया जाता है. परियोजना निर्माण एवं क्रियान्वयन समिति में निम्न अनुसार अधिकारी रहेंगे :—

1. मुख्य सचिव.	अध्यक्ष
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त एवं योजना विभाग.	सदस्य
3. कृषि उत्पादन, आयुक्त.	सदस्य
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग.	सदस्य
5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग.	सदस्य
6. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग.	सदस्य
7. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वा. यांत्रिकी विभाग.	सदस्य
8. सलाहकार, राज्य योजना मण्डल.	सदस्य सचिव.

1. समिति ऐसी योजनाओं/परियोजनाओं का परीक्षण करेगी जिनकी पूंजीगत लागत रुपयें 10 करोड़ या इससे अधिक है. योजना से संबंधित प्रशासकीय विभाग समिति के समक्ष पूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा तथा समिति की बैठक में योजना बाबत अन्य समस्त जानकारी समिति के चाहे अनुसार प्रस्तुत करेगा. समिति द्वारा राज्य में योजना/परियोजना की आवश्यकता, उससे राज्य को होने वाला लाभ, उसकी लागत व आर्थिक दृष्टि से उसकी Viability आदि मुद्दों पर विचार किया जाएगा.

2. समिति, निर्धारित वित्तीय सीमा अथवा उससे अधिक की योजना/परियोजना जो अभी क्रियान्वित हो रही है उनकी समय-समय पर समीक्षा करेगी.

3. समिति, निर्माण कार्य से संबंधित विभागों, जैसे जल संसाधन, लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में मशीनों एवं अन्य उपकरणों के अनावश्यक क्रय पर नियंत्रण रखने तथा विभाग की स्टोर एनवेन्ट्रीस की भी समय पर समीक्षा करेगी.

4. योजना/परियोजना से संबंधित महत्वपूर्ण नीति संबंधी विषय तथा अन्तर्विभागीय विषय भी समिति के समक्ष विचार के लिये प्रस्तुत किये जा सकते हैं.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. मिश्रा, अपर मुख्य सचिव.

वित्त तथा योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 जून 2002

क्रमांक एफ 6-38/2001/वा. कर/पांच.—राज्य शासन द्वारा श्री बी. एस. ओटी, उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, कार्यालय आयुक्त, वाणिज्यिक कर, रायपुर को अस्थायी तौर पर आगामी आदेश पर्यन्त अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर के पद पर वेतनमान 14300-400-18300 में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदोन्नत किया जाकर अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, कार्यालय आयुक्त वाणिज्यिक कर, रायपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

2. (i) पदोन्नति अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर द्वारा आदेश प्राप्ति की तारीख से एक माह के अंदर सक्षम अधिकारी को यह विकल्प दिया जाएगा कि :—

(क) उपायुक्त, वाणिज्यिक कर के पद के वेतनमान में वृद्धि प्राप्त कर लेने के बाद आगे कोई पुनरीक्षण किये बिना सीधे ही मूलभूत नियम 22-डी के अंतर्गत अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर के पद में उसका प्रारंभिक वेतन निर्धारित किया जावे.

(ख) अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर के पद पर (पहली बार) उसका वेतन मूलभूत नियम 22-ए (1) में दिये गये तरीके से निर्धारित कर दिया जाय और दूसरी बार उपायुक्त वाणिज्यिक कर के वेतनमान में वेतनवृद्धि प्राप्त करने के बाद उसी तारीख को उसका वेतन मूलभूत नियम 22-डी के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारण किया जाय.

(ii) यदि अधिकारी द्वारा उपर्युक्त विकल्पों में से विकल्प (ख) अपनाया जाता है तो उसकी आगामी वेतनवृद्धि दूसरी बार वेतन निर्धारण की तारीख से 12 माह की अर्हकारी सेवा पूर्ण करने की तारीख को देय होगी.

3. इन विकल्पों में से कोई भी विकल्प अपनाने पर अधिकारी को मूलभूत नियम 22-डी (2) के प्रावधानों अनुसार नियम 22 के परन्तुक का लाभ अनुज्ञेय नहीं होगा. एक बार दिया गया विकल्प अंतिम होगा.

4. उक्त पदोन्नतियां प्रथम श्रेणी से प्रथम श्रेणी के पद पर होने से आरक्षण नियमों के प्रावधानों इसमें लागू नहीं होते हैं.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 जून 2002

क्रमांक 9679/गृह/2002.—छत्तीसगढ़ सरकार, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो का औपचारिक गठन करना चाहती है जो सन् 2001 के प्रारंभ से ही कार्यरत है. इस आदेश के जारी होने की तारीख से प्रवृत्त होगा. छत्तीसगढ़ पुलिस अपराध अनुसंधान विभाग, सी.आई.डी. में उपलब्ध कर्मचारीवृन्द को लेकर संलग्नक के रूप में कार्य करेंगे. एस. सी. आर. बी. द्वारा पूर्व में की गई समस्त कार्रवाई इस आदेश के अधीन नियमित किए गए, समझी जावेंगी.

ब्यूरो में सी.आई.डी. की अपराध सांख्यिकीय शाखा, पुलिस कम्प्यूटर और एम.ओ.बी. तथा डी.सी.आर.बी. शामिल होंगे. इसके कार्य निम्नलिखित होंगे :—

(क) राज्य में अपराध/अपराधियों के विवरण के आधार पर अंतर्राज्यीय अपराध के संबंध में कार्य करेगा जिससे अनुसंधानकर्ता को संबंधित अपराध के अनुसंधान में सहायता मिलेगी.

(ख) अन्तर्राज्यीय अपराध/अपराधियों तथा अन्य विशेष वर्गों के अपराधियों के संबंध में एन.सी.आर.बी. के साथ समन्वय.

(ग) अपराध सांख्यिकीय प्रक्रिया तथा प्रसार संग्रह करना.

(घ) राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो का निजी प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराना.

(ङ) वर्तमान कार्य का समय-समय पर पुनरीक्षण तथा सुधार के उपाय.

वर्तमान जिला अपराध अभिलेख कार्यालय अब जिला अपराध अभिलेख ब्यूरो में परिवर्तित हो जाएंगे.

Raipur, the 7th June 2002

No. 9679/Home/2002.—The Government of Chhattisgarh is pleased to formally create the State of Crime Records Bureau which has been functioning since the beginning of 2001 with effect from the date of issue of this order. as an adjunct to the Criminal Investigation Department of Chhattisgarh Police with the existing staff taken from the strength of the CID. All previous action taken by the SCRB are deemed to have been regularized under this order.

The Bureau will consist of the Crime Statistics Branch of the CID, the Police Computers and the MOB & DCRB It is assigned the following functions :—

(A) Function as a data base on crime/criminals with the State as well as on interstate crime with a view to assisting the investigators in linking crimes to their prepetrators.

(B) To co-ordinate with the NCRB on interstate crime/criminals and criminals of the special classes.

(C) To collect, process and disseminate crime statistics.

(D) To provide training facilities to the personnel of the State Crime Records Bureau.

(E) To review the existing functions from time to time and suggest measures for improvement.

The District Crime Records Offices now in existence would be converted into District Crime Records Bureau.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. विजयवर्गीय, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 21 मई 2002

क्रमांक 9250/गृह/2002.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का सं.-2) की धारा 2 के खंड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा नीचे दी गई सारणी में उल्लेखित किए गए स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व अधिसूचनाओं में आंशिक रूप से भेद करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा शासन आदेश क्र. एफ-3/38/गृह/01, दिनांक 14-7-2001 जारी दिनांक से—

1. नीचे दी गई सारणी के कालम नं. (20) में वर्णित पुलिस थानों से उक्त सारणी के कालम नं. (4) की तत्संबंध प्रविष्टि में उल्लेखित किए गए स्थानीय क्षेत्रों को अपवर्जित करता है, और

2. यहं निर्देश देता है कि उक्त सारणी के कालम (4) में उल्लेखित किया गया स्थान क्षेत्र उक्त सारणी के कालम (3) की तत्संबंध प्रविष्टि में सम्मिलित किया जाय.

सारणी

क्र.	उस थाना/चौकी का नाम तह. जिला सहित जिसमें से अपवर्जित किया गया	उक्त थाना/चौकी का नाम तह. जिला सहित जिसमें से शामिल किया जाना है	ग्राम का नाम	पटवारी हल्का नं. बंदोबस्त क्रमांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	थाना धरसीवा तह. व जिला रायपुर.	पुलिस चौकी विधान सभा परिसर थाना धरसीवा व जिला, रायपुर.	1. जरौदा	82/189
			2. सेमरिया	80/529
			3. ढोर	94/211
			4. दोंदेंकला	95/260
			5. देहदेखुर्द	95/259
			6. मटिया	95/425
			7. मारकोनी	96/414

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			8. लालपुर	95/488
			9. बरबदा	94/363
			10. मांढर	97/436
			11. तर्रा	82/226
			12. छपोरा	96/182
			13. बरौदा	96/365
			14. टेकारी	97/206
2.	थाना मंदिर हसौद तह. व जिला रायपुर.	पुलिस चौकी विधान सभा परिसर थाना धरसीवा व जिला रायपुर.	15. नरदाहा	80/238
			16. चटौद	81/155
			17. पचेडा	81/300
3.	थाना पण्डरी तह. व जिला रायपुर.	—''—	18. कचना	110/37
			19. आमासिवनी	110/23

रायपुर, दिनांक 7 जून 2002

क्रमांक 9680/गृह/2002.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का सं. 2) की धारा 2 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा नीचे दी गई सारणी में उल्लेखित किये गए स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व अधिसूचनाओं में आंशिक रूप से भेद करते हुए—

1. नीचे दी गई सारणी के कालम नं. (2) में वर्णित पुलिस थानों से उक्त सारणी के कॉलम नं. (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में उल्लेखित किये गये स्थानीय क्षेत्रों को अपवर्जित करता है, और

2. यह निर्देश देता है कि उक्त सारणी के कॉलम (4) में उल्लेखित किया गया स्थान क्षेत्र उक्त सारणी के कॉलम (3) की तत्संबंधी प्रविष्टि में सम्मिलित किया जाय.

सारणी

क्र. (1)	उस थाना/चौकी का नाम तह. जिला सहित जिसमें से अपवर्जित किया गया (2)	उक्त थाना/चौकी का नाम तह. जिला जिसमें से शामिल किया जाना है (3)	ग्राम का नाम (4)	पटवारी हल्का नं. (5)
1.	थाना रावघाट जिला कांकेर.	थाना नारायणपुर जिला जगदलपुर.	1. मातला	वनग्राम
			2. भरण्डा	वनग्राम
			3. खोड़गांव	06
			4. परलभाट	06
2.	थाना पखान्जुर जिला कांकेर.	थाना नारायणपुर जिला जगदलपुर.	1. राजामुण्डा	
			2. बीनामुण्डा	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			3. कोगे	
			4. पांगुड	
			5. ठाकुरहूर	
			6. कोडोसी	
			7. रानीमरका	
			8. फरसकोड़ा	
			9. मरकाबेड़ा	
			10. बरकोर	
			11. काकनार	
			12. दुबेदण्ड	
			13. मगवाड़ा	
			14. पारेदी	
			15. ओरछापाड़	
			16. पालेबेड़ा	
			17. धमण्डी	
			18. अलवरवास	
			19. कंगोली	
			20. तहकादण्ड	
			21. बाड़ापैदा	
			22. कादेर	
			23. गुडरापारा	
			24. मसपुर	
			25. टोरोबेड़ा	
			26. होरादी	
			27. गारपा	
			28. तुमीरादी	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वाय. के. एस. ठाकुर, विशेष सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 17 मई 2002

क्रमांक 4197/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-राजनांदगांव
- (ग) नगर/ग्राम-फुलझर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.56 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
396/2	0.80
396/1	0.60
397	0.16
योग	1.56

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-सोमनी से नवागांव मार्ग निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण-भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 18 जून 2002

क्रमांक 5040/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-जारवाही, प. ह. नं. 5
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.83 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
14	0.83
योग	0.83

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-सलगापार, मदनपुर, मुढ़िया, जारवाही, बसंतपुर मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण-अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी का कार्यालय, डोंगरगढ़ में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 18 जून 2002

क्रमांक 5041/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-बसंतपुर, प. ह. नं. 5
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.12 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
224/2	0.45
221/2	0.67
योग	1.12

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-सलगापार, मदनपुर, मुढ़िया, जारवाही, बसंतपुर मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण-अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी का कार्यालय, डोंगरगढ़ में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के. श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर (खनिज शाखा), रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 जून 2002

क्रमांक क/ख. लि./2002/475.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि गौण खनिज नियमावली, 1996 के नियम 12 के अंतर्गत चूना पत्थर खनिज के लिए सूची में दर्शायेनुसार क्षेत्र छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित होने के 30 (तीस) दिन के पश्चात् आवंटन के लिए उपलब्ध रहेगा. आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात् व आवेदित क्षेत्र चूना पत्थर खनिज का रासायनिक विश्लेषण संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म विभाग द्वारा कराया जावेगा और विधिवत लीज स्वीकृत कर विचार किया जावेगा.

स. क्र.	ग्राम का नाम	प. ह. नं.	तहसील	खसरा नंबर	रकबा	अन्य विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	तुरमा	23/44	भाटापारा	63/1, 63/6 टु. निजी भूमि.	2.52 एकड़	राजेश आनंद जसवानी को स्वीकृत खदान निरस्त होने से.
2.	तुरमा	23/44	—"—	62/9 टु. निजी भूमि.	0.60 एकड़	राजेश आनंद को स्वीकृत खदान लीज अवधि समाप्त होने से.
3.	मंदिर हसौद	73/14	रायपुर	654/1, 2, 657/14.	4.14 एकड़	मे. अन्नपूर्णा मिनरल्स प्रो. कैलाश चन्द अग्रवाल को स्वीकृत खदान लीज अवधि समाप्त होने से.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.	नायक बांधा	131	अभनपुर	612, 613, 614, 615/1, 2, 116/1, 2, 3, 617/1 से 3, 618 619/1 से 3, 620/1, 2 एवं 662/1-2 निजी भूमि.	3.60 एकड़	नीलम चन्द छल्लानी को स्वीकृत खदान लीज अवधि समाप्त होने से.
5.	झिरिया	17	सिमगा	1105 निजी भूमि.	0.42	दाऊ लाल साहू को स्वीकृत खदान लीज निरस्त होने से.
6.	नरदहा	80	आरंग	1162 निजी भूमि.	4.90	श्री पुरुषोत्तम दास के नाम से स्वीकृत लीज निरस्त.

हस्ता/-
(जे. मिंज)
अपर कलेक्टर.